

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 222/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कैमफिन होम्स लि. एस-14, से 21, द्वितीय तल, गीजगढ टॉवर, हवा सडक, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती प्रियंका शर्मा पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार वशिष्ठ,
2. श्री नरेन्द्र कुमार वशिष्ठ पुत्र श्री मनोहर लाल वशिष्ठ,
पता-प्लॉट नं. 220 फ्लेट नं. टी-02, तृतीय तल, पत्रकार कालोनी, जिला जयपुर ।
3. श्री दिनेश कुमार मंडासीवाल,
पता-प्लॉट नम्बर बी-60 त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं सहऋणी

The application under section 14 of The Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002



उपस्थित:-

1. प्रतिनिधि प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री अक्षत कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

आदेश


दिनांक 11.07.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी श्रीमती प्रियंका शर्मा पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार वशिष्ठ के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 220 में स्थित फ्लेट नं. टी-02, तृतीय तल, पत्रकार कालोनी, जिला जयपुर क्षेत्रफल 1650 वर्गफिट सुपर विल्टअप एरिया को बन्धक रख कर दिनांक 21.12.2013 को राशि 9,00,000/- रूपये एवं दिनांक 07.04.2014 को राशि 5,00,000/- रूपये कुल राशि 14,00,000/- रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री अक्षत कुल श्रेष्ठ ने उपस्थित होकर वकलतनामा व जवाब पेश किया।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थीगण की ओर से की गई आपत्तियों पर सुनवाई किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र हैं।
5. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 10, नवम्बर 2003 कम संख्या 4 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 14,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन. पी. ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 13,35,284/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
7. अतः The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में श्रीमती प्रियन्का शर्मा पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार वशिष्ठ के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 220 में स्थित फ्लैट नं. टी-02, तृतीय तल, पत्रकार कालोनी, जिला जयपुर क्षेत्रफल 1650 वर्गफिट सुपर बिल्टअप एरिया का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
9. आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
10. आदेश आज दिनांक 11.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर